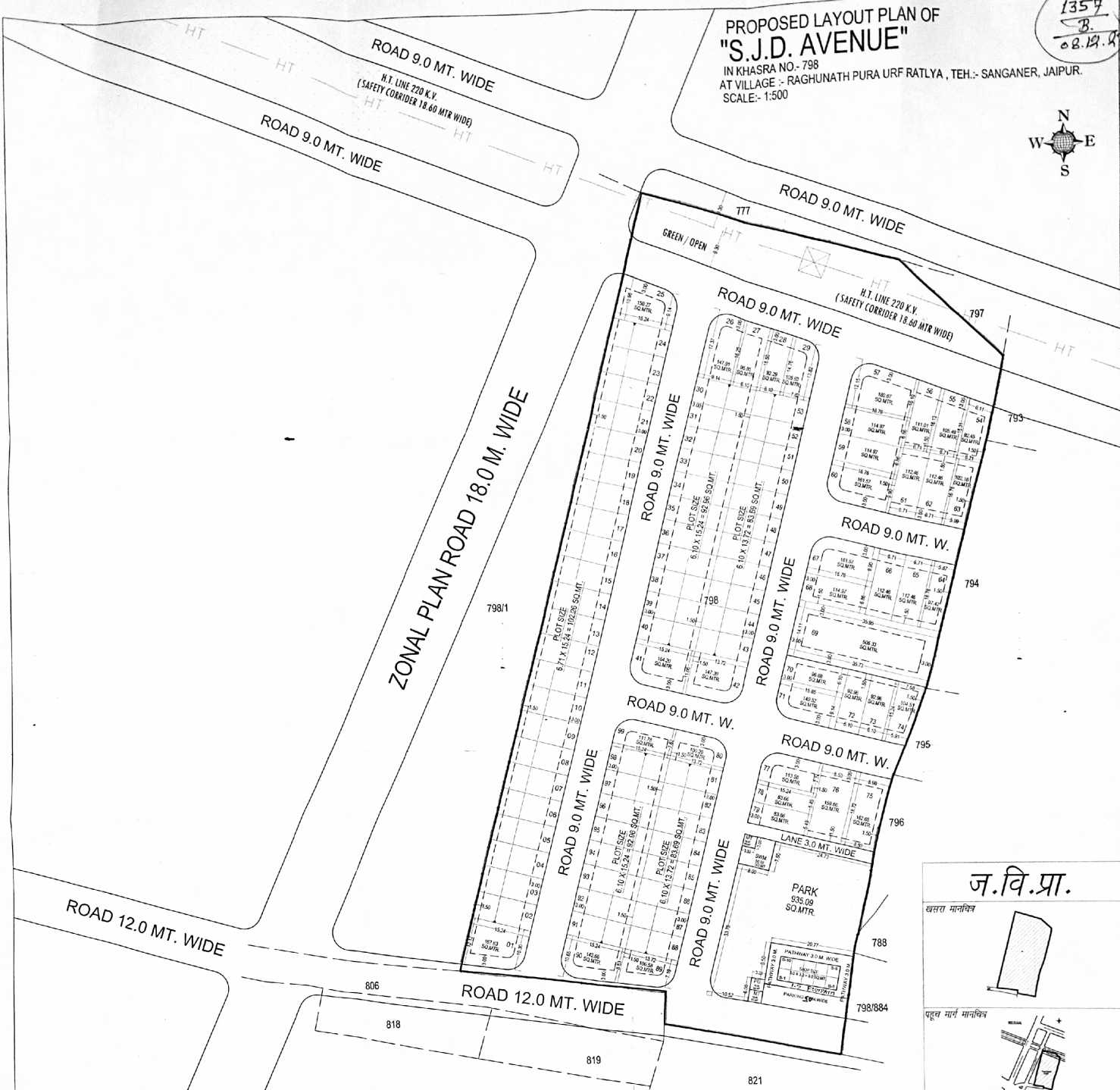
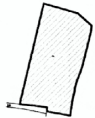


IN KHASRA NO:- 798
AT VILLAGE :- RAGHUNATH PURA URF RATLYA , TEH:- SANGANER, JAIPUR.
SCALE:- 1:500

1357
B.
08.12.23.



खसरा मानचित्र



पहल मार्ग मानचित्र



दिशा सुचक



मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग		
आवसीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-		
१	कुल आवसीय भूखण्ड	= ९९
२	सुरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड	= १०

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ. MTR)	(%)
1.	RESIDENTIAL	10686.27	57.14 %
2.	RETAIL	90.00	00.48 %
TOTAL= (1 TO 2)		10776.27	57.62 %
3.	PARK	935.09	05.00 %
4.	S.W.M.	50.00	00.27 %
5.	MOBILE TOWER	20.00	00.11 %
6.	P.U.	10.00	00.05 %
7.	H.T. LINE	1233.38	06.60 %
8.	ROAD	5675.26	30.35 %
TOTAL= (3 TO 8)		7973.73	42.38 %

SCHEME AREA	18700.00	100.00 %
	01.87 HECT.	

योजना की मुद्दी को धारुस अतिमिषि की धारा 80 ए की
कारवांसी एच मोड की मुद्दी का प्रमोशनल एच द्वारा किया गया।
योजना की मुद्दी मुद्दी अतिमिषि में विहित हो मुद्दी है।

माम	माम
सहोतीसय	परावृत्ता जेब-

सी.टी.सी. / जी.एस.टी. की वैकल्पिक रास्ता दिया
की अनुमति में योजना मुद्दीसय सहीपुस की अती किया गया।

योजना का नाम- PROPOSED LAYOUT PLAN OF
"S.J.D. AVENUE"
IN SURUDA NO. 748
AT VELUR - TIRUPURURU PUNJAB RAILWAY STN. - 1

जोन संख्या = 14
दैनिक :- 1:50

सहायक नगर निरीक्षक	अति. सहायक नगर निरीक्षक	वरिष्ठ नगर निरीक्षक
-----------------------	----------------------------	------------------------

जयपुर विकास प्राधिकरण

Cad Max
PROJECTS (P) LTD

1. राजस्थान ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ शालिया तहसील सांगार जिला जयपुर के ख.नं. 798 रकबा 01:87 हेक्टर भूमि की 90ए मामला संख्या 190/213 दिनांक 10.01.2014 के द्वारा पूर्ण की गई है जिसकी प्रतीति 37 / सी पर संश्लेष है।
2. योजना की भूमि में स भूरा अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मीके पर प्रमाणिकरण सहसलीतद्वार किया गया है।
3. योजना का भू उपयोग मास्टर प्लान शाखा द्वारा 65 / सी के अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अंतर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान प्लागम जॉन-14 के अनुसार भू-उपयोग आवासीय दर्शित है तथा जोनल प्लान की 200 के. बी. एच.टी. लाईन (35 मीटर सेप्टी करीडोर) से प्रभावित है।
4. योजना एन.जे.डी. एन्वेयू का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 335वीं बैठक दिनांक 12.05.2023 में किया गया है। जिसकी अनुमति में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
5. आवेदित भूमि को पुर्व हेतु प्रस्तावित 12 मीटर सड़क जोनल विकास की सड़क नहीं होने के कारण सड़क का निर्माण / विकास का कार्य पर होने वाले समस्त व्यय को आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
6. योजना में दर्शित एच.टी लाईन का न्यूनतम कार्य करीडोर 18.60 मीटर एवं तत्पश्चात 9-9 मीटर की सड़क के कालम करते हुये उक्त 9-9 मीटर सड़क को प्रभावित भूमि जविप्रा में नि-शुद्ध सार्वजिन करवाई जावे तथा उक्त सेप्टी करीडोर से प्रभावित भूमि को आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर बाउण्ड्री वाल बनाया जाकर नो पॉन्डिंग जोन को बौर्ड लगाया जाये।
7. पुर्कर कार्यवशात्कि भूखण्ड की प्लागिन मय पार्थ-व व कंसिग्रेट एवं दुकरांकी को क्षेत्रफल आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ. नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार रखा जाना जाकर भूखण्ड का पृथक से सक्षम स्तर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाया जाये।
8. योजना मानचित्र टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामैट्रीक जतिपा विनियम 2020 के अनुसार देय होना।
10. आंतरिक विकास शुल्क की एक्ज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड

भूस. २५, २५, ६३, ७५ से ७९ ----- कुल भूखण्ड ----- ८ ----- कुल क्षेत्रफल -----
----- वर्गमीटर -----

1567.5 +

वसुधैव कुटुम्बकम्
मित्रा जनाः ।

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Towers,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tork Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031

AMIN (ZONE-14)
S.T.P.
(B.P.C. (L.P.))

A.C.T.P.
B.P.C.(L.P.)